सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 7/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री महावीर सुमन पुत्र मदन लाल सुमन उम्र 26 वर्ष जाति सुमन निवासी जगजीवन राम कॉलोनी, धाकडो का मोहल्ला बारॉ जिला बारॉ । मैसर्स महावीर रेस्टोरेन्ट, प्रताप चौक बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)

निर्णय दिनांक 28.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.7.2016 को मैसर्स महावीर रेस्टोरेन्ट, प्रताप चौक बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री महावीर सुमन पुत्र मदन लाल सुमन **(मौके पर मौजूद मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 25.7.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** 10 कि.ग्रा. के लगभग स्टील की ट्रे मे विक्रय हेतु रखी हुयी थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** मे मिलावटी का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** विक्रेता से 2 कि.ग्रा. तपेली मे तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री महावीर सुमन पुत्र मदन लाल सुमन को 180/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** 2 कि.ग्रा. को चार नमूना भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखे कॉच के जार दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक जार मे भरकर, परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक जार पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–623 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना जारो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना जार पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–623 नियमानुसार चारो नमूना जारो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना जार पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमूना जारो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना जारो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री महावीर सुमन पुत्र मदन लाल सुमन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/250 दिनांक 14.9.2016 से ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./2322/Act/2016/115 दिनांक 16.8.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे वॉटर आई0डी0 कार्यालय मे पेश गयी।

इस पर प्रकरण दिनांक 21.3.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 13.7.2018 एवं 31.8.2018 को उपस्थिति रहा है, इसके पश्चात अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर, प्रकरण मे बहस एकपक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय की गई थी, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **इमरती (वनस्पति मे निर्मित)** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी को निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)